न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 5408 / 2005 / सवाई माधोपुर

1– मोहनलाल पुत्र श्री रंगलाल
2– गिर्राज)
3– रामजीलाल) पुत्रान गोरया मीणा
4– श्री नारायण) निवासी चक उदयरामपुरा,
5– रामप्रसाद) तह. बामनवास, जिला सवाई माधोपुर
6– रामकेश)
7– अम्बा लाल)

.....अपीलान्टस

बनाम

1– राजस्थान सरकार
2– तहसीलदार बामनवास, जिला सवाई माधोपुर।

.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः–
श्री सतीश पारीक, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री वी. पी. सिंह, राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 03 जुलाई, 2018

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1–9–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अपील प्राधिकारी ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या–241/04 शीर्षक मोहनलाल आदि बनाम तहसीलदार बामनवास को खारिज किया है।

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादीगण / वर्तमान अपीलान्टस ने एक दावा संख्या–216/02 (पुराना नम्बर–145/99)

अपील डिक्री / टी.ए. / 5408 / 2005 / सवाई माधोपुर
मोहनलाल आदि बनाम सरकार आदि

अन्तर्गत धारा–88–207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम शीर्षक मोहनलाल आदि बनाम तहसील बामनवास के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसीलदार बामनवास के ग्राम सांचोली के साबिका खसरा नम्बर–6 रकबा 4.10 बीघा भूमि में से 2.10 बीघा भूमि का नियमन दिनांक 28–12–1969 को वादी संख्या–1 तथा वादी संख्या–2 ता 7 के पिता गोरया के नाम से किया था। जिसका इन्तकाल संख्या–26 दिनांक 20–4–1973 को स्वीकृत कर Record of Right में अंकन कर दिया गया। बन्दोबस्त के दौरान खसरा नम्बर–6 का हाल खसरा नम्बर–33/987 रकबा 81 ऐयर पैमूद हुआ, परन्तु खसरा नम्बर–33/987 रकबा 81 ऐयर सिवायचक दर्ज कर दिया गया। भू प्रबन्ध विभाग को पूर्व के इन्द्राज को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये दावा स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जावे। दावा दर्ज होने के पश्चात तहसीलदार बामनवास को तलब किया गया। तहसीलदार बामनवास अनुपस्थित होने पर उसके विरूद्ध दिनांक 24–6–1999 को एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–9–2004 के द्वारा दावा को खारिज कर दिया। उप खण्ड अधिकारी, बामनवास के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–9–2004 से व्यथित होकर वादीगण / वर्तमान अपीलान्ट ने प्रथम अपील संख्या–241/04 शीर्षक मोहनलाल आदि बनाम तहसीलदार बामनवास, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1–9–2005 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, बामनवास के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–9–2004 तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1–9–2005 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य बहस यह है कि साबिका खसरा नम्बर–6 रकबा 4.10 बीघा भूमि में से 2.10 बीघा भूमि मोहन–गोरया को दिनांक 28–12–1969 को नियमन की गयी थी। इस नियमन आदेश की पालना में इन्तकाल संख्या–26 दिनांक 20–4–1973 को ग्राम पंयायत सांचोली द्वारा स्वीकृत किया गया। बन्दोबस्त के दौरान साबिका खसरा नम्बर–6 का नया खसरा नम्बर–33/987 रकबा 81 ऐयर कायम किया गया। परन्तु बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश/निर्णय के हाल खसरा नम्बर–33/987 रकबा 81 ऐयर सिवायचक दर्ज कर दिया गया। भू प्रबन्ध विभाग को पूर्व के अंकन को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार बामनवास द्वारा दावा का जवाबदावा प्रस्तुत

नहीं किया गया। फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय एवं डिक्री वादी / अपीलान्ट के विरूद्ध पारित करने में त्रुटि की है। इसलिये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायायों के निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें तथा वादी / अपीलान्ट का दावा स्वीकार किया जावे।

5– इसके विपरीत विद्वान राजकीय अभिभाषक की मुख्य बहस यह है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से निर्णय एवं डिक्री वादी अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये हैं। धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है। समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन किया गया

7– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद इन्तकाल संख्या–26 दिनांक 20–4–1973 के कालम नम्बर–16 में लगा नोट से यह तथ्य तो स्पष्ट हो रहा है कि खसरा नम्बर–6 रकबा 2.10 बीघा भूमि का नियमन मोहन–गोरया के नाम से दिनांक 28–12–1969 को किया गया है। इस इन्तकाल का अंकन जमाबन्दी संवत 2018 से 2031 में भी किया गया है। जब एक दफा Record of Right में कोई अंकन कर दिया जावे तो भू प्रबन्ध विभाग उस अंकन को अपने स्तर पर निरस्त नहीं कर सकता है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा कोई जवाबदावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय एवं डिक्री वादी / अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये हैं। नियमन आदेश का अंकन Record of Right में होने के कारण जांच का विषय है कि क्या नियमन आदेश पारित हुआ है अथवा नहीं। जब एक दफा Record of Right में नियमन आदेश का अंकन कर दियागया है तो उस अंकन को भू प्रबन्ध विभाग अपने स्तर पर खारिज नहीं कर सकता है। इस प्रकरण में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पुनः जांच कर निर्णय पारित किया जाना न्यायसंगत है।

8– फलस्वरूप यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर विद्वान उप खण्ड अधिकारी, बामनवास का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–9–2004

अपील डिक्री / टी.ए. / 5408 / 2005 / सवाई माधोपुर
मोहनलाल आदि बनाम सरकार आदि

तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1–9–2005 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण विद्वान उप खण्ड अधिकारी, बामनवास को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि वादी / अपीलान्ट के नियमन आदेश, इन्तकाल संख्या–26 दिनांक 20–4–1973 की पुनः जांच कर राज्य सरकार का जवाबदावा लेकर तनकी बनाकर नये सीरे से पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्ष न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बामनवास के समक्ष दिनांक 6–8–2018 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष